Order Sheet (subsequent)

सूमाबाई वगै. बनाम शाखा प्रबंधक वगै.

क्लेम प्रकरण संख्या : 33/2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
.02.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मनोज कुमार जैन उपस्थित। अप्रार्थी क्रम–1(बीमा कंपनी) के अधिवक्ता श्री अमित अरोड़ा व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 के अधिवक्ता श्री रूपेन्द्र सिंह उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रकरण में चश्मदीद साक्षी धन्नालाल को तलब फरमाये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसकी नकल अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दिलाई गई। अधिवक्तागण अप्रार्थी क्रम–1(बीमा कंपनी) व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना चाहना जाहिर किया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा जाहिर किया गया कि उक्त गवाह को प्रस्तुत करने में प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विलम्ब कारित किया गया है, जिससे प्रार्थी का उद्‌देश्य बीमा कंपनी से ब्याज अधिक से अधिक अवधि का प्राप्त करना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे। संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी **धन्नालाल पुत्र ग्यारसा अहीरवाल निवासी बघुरिया थाना फतेहगढ़ (मध्यप्रदेश)** प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह है, जिसकी साक्ष्य के बिना न्याय का ह्रास होगा। अतः न्यायहित में गवाह की महत्ता को दृष्टिगत न्याय की स्थापना हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त साक्षी धन्नालाल को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधिरोपित कोस्ट राशि 200/– जमा नहीं कराई गई है, जो आगामी पेशी से पूर्व आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा करवाई जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तलबाना पेश किया गया। उक्त साक्षी का नोटिस/सम्मन आज ही जारी किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी को दस्ती दिया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि साक्षी धन्नालाल को आगामी पेशी पर स्वयं के स्तर पर प्रयास कर आवश्यक रूप से न्यायालय में साक्ष्य हेतु असालतन रखा जाना सुनिश्चित करें। आइंदा पेशी पर प्रार्थी पक्ष की लापरवाही प्रकट होने से साक्ष्य हेतु अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी में दिनांक 23.02.2026 को पेश हो।	

12.2.26

सत्यनारायण टेलर
न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, आरां (राज.)

Order Sheet (subsequent)

सूमाबाई वगै. बनाम शाखा प्रबंधक वगै.

क्लेम प्रकरण संख्या : 33/2023

Date	Order with Initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
12.02.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मनोज कुमार जैन उपस्थित। अप्रार्थी क्रम–1(बीमा कंपनी) के अधिवक्ता श्री अमित अरोड़ा व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 के अधिवक्ता श्री रूपेन्द्र सिंह उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रकरण में चश्मदीद साक्षी धन्नालाल को तलब फरमाये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसकी नकल अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दिलाई गई। अधिवक्तागण अप्रार्थी क्रम–1(बीमा कंपनी) व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना चाहना जाहिर किया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा जाहिर किया गया कि उक्त गवाह को प्रस्तुत करने में प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विलम्ब कारित किया गया है, जिससे प्रार्थी का उद्देश्य बीमा कंपनी से ब्याज अधिक से अधिक अवधि का प्राप्त करना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे। संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी **धन्नालाल पुत्र ग्यारसा अहीरवाल निवासी बघुरिया थाना फतेहगढ़ (मध्यप्रदेश)** प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह है, जिसकी साक्ष्य के बिना न्याय का ह्रास होगा। अतः न्यायहित में गवाह की महत्ता को दृष्टिगत न्याय की स्थापना हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त साक्षी धन्नालाल को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधिरोपित कोस्ट राशि 200/– जमा नहीं कराई गई है, जो आगामी पेशी से पूर्व आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा करवाई जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तलबाना पेश किया गया। उक्त साक्षी का नोटिस/सम्मन आज ही जारी किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी को दस्ती दिया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि साक्षी धन्नालाल को आगामी पेशी पर स्वयं के स्तर पर प्रयास कर आवश्यक रूप से न्यायालय में साक्ष्य हेतु असालतन रखा जाना सुनिश्चित करें। आइंदा पेशी पर प्रार्थी पक्ष की लापरवाही प्रकट होने से साक्ष्य हेतु अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी में दिनांक 23.02.2026 को पेश हो। 12.2.26	

सत्यनारायण टेलर
न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, बारां (राज.)